<u>पुनश्च :–</u>

इसी स्तर पर आवेदक टामेश्वर लाल सिन्हा सहित अधि0 श्री महेश्वर सिन्हा मेमो सहित उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–451 दं0प्र0सं0 को पेश किया, जिसका निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक की ओर से पेश आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना गुरूर ने अप0 क्र0 65/18 धारा–379 भा.दं.सं. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण के विवेचना के दौरान आरोपी से एक सैमसंग जे–7 मोबाईल को मय कागजात जप्त किया है। उक्त जप्तशुदा मोबाईल आवेदक के स्वामित्व की है। जप्तशुदा संपत्ति आवेदक की निजी संपत्ति एवं दैनिक उपयोग की वस्तु है। जिसका थाने में बहुत दिनों तक पडे रहने से उसमें खराबी आने की संभावना है जिससे आवेदक को आर्थिक नुकसान होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। आवेदक उक्त जप्त संपत्ति को सुपुर्दनामा में वापस लेना चाहता है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः आवेदक को उक्त जप्तशुदा संपत्ति को सुपुर्दनामा में दिये जाने का निवेदन किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदन पर विचार किया गया। तर्क श्रवण किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में थाना गुरूर द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी ओमप्रकाश साहू से एक नग सैमसंग मोबाईल माडल जे–7 जिसका आईएमईआई नंबर 354636090553200 एवं 354637090553208 को दिनांक 06.04.18 को जप्त किया जाना दर्शित है। आवेदक टामेश्वर लाल सिन्हा से उक्त मोबाईल के क्रय रसीद को दिनांक 05.04.18 को जप्त किया गया है। प्रकरण में सलंग्न क्रय रसीद के अवलोकन से आवेदक टामेश्वर सिन्हा द्वारा सैमसंग जे–7 मोबाईल को सिद्धी मोबाईल एंड कम्प्यूटर्स गुरूर से दिनांक 01.02.18 को क्रय किया जाना दर्शित है। उक्त क्रय रसीद में मोबाईल का आईएमईआई नंबर 354636/09/055320/0 एवं 354637/09/055320/8 उल्लेखित है। जप्ती पत्रक में उल्लेखित जप्तशुदा मोबाईल का आईएमईआई नंबर एवं

आवेदक से जप्तशुदा क्रय रसीद में उल्लेखित आईएमईआई नंबर समान है। आज प्रकरण में उपस्थित आरोपी ओमप्रकाश से जप्तशुदा मोबाईल को आवेदक को सुपुर्दनामा में दिये जाने के संबंध में पूछे जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना लेख किया गया है। जिससे आवेदक टामेश्वर लाल प्रकरण में जप्तशुदा मोबाईल का प्रथम दृष्टया स्वामी होना दर्शित हो रहा है अतः प्रकरण में जप्तशुदा मोबाईल को आवेदक को प्रदान किया जाना उचित दर्शित हो रहा है। उपरोक्त जप्तशुदा संपत्ति यांत्रिकी उपकरण है एवं दैनिक उपयोगिता की वस्तु है। थाना में ज्यादा दिनों तक पड़े रहने से उसके मशीनरी पार्टस में खराबी आ सकती है जिससे आवेदक को आर्थिक हानि होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः आवेदक की ओर से पेश सुपुर्दनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है। यह आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक टामेश्वर लाल सिन्हा की ओर से **13,000/-रूपये** का सुपुर्दनामा पेश किया जाये तो प्रकरण में जप्तशुदा **एक नग सैमसंग कंपनी का जे-7 मोबाईल जिसका आईएमईआई नंबर 354636090553200 एवं 354637090553208** को **मय दस्तावेज आवेदक टामेश्वर लाल सिन्हा** को सुपुर्दनामा पर निम्न शर्तों पर प्रदान की जावे।

<u>शर्तेः-</u>

1. आवेदक उपरोक्त संपत्ति के संबंध में क्रय रसीद की सत्यापित प्रति प्रकरण में सलंग्न करेगा।
2. आवेदक प्रकरण के लंबन काल तक जप्तशुदा मोबाईल के रंगरूप में परिवर्तन नहीं करेगा और न ही अन्यथा व्ययनित करेगा।
3. न्यायालय की मांग पर तत्काल मोबाईल को अपने खर्चे पर न्यायालय में पेश करेगा।
4. न्यायालय के अन्य समस्त आदेशों का पालन करेगा।

प्रकरण पूर्ववत् दिनांक-18.07.2018

सही/-
अशोक कुमार लाल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बालोद छ0ग0